

छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग-दो

मंगलवार, दिनांक 8 मार्च, 2021 (फाल्गुन 17, 1943)

कार्यमंत्रणा समिति का सोलहवां प्रतिवेदन

कार्यमंत्रणा समिति की बैठक सोमवार, दिनांक 7 मार्च, 2022 में लिये गये निर्णय अनुसार निम्नानुसार वित्तीय एवं विधायी कार्यों पर चर्चा के लिये समय निर्धारित करने की सिफारिश को सदन द्वारा दिनांक 8 मार्च, 2022 को स्वीकृति प्रदान की गई :-

1. वित्तीय कार्य -

- (1) वित्तीय वर्ष 2021-22 के तृतीय अनुपूरक अनुमान की मांगों पर चर्चा, मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन, विचार एवं पारण, मंगलवार, दिनांक 8 मार्च, 2022 को रखा जाये तथा इस पर चर्चा हेतु 3 घंटे का समय निर्धारित किया गया।
- (2) वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय व्ययक का उपस्थापन बुधवार, दिनांक 9 मार्च, 2022 को मध्यान्ह 12.30 बजे किया जायेगा तथा आय व्ययक पर सामान्य चर्चा, गुरुवार, दिनांक 10 मार्च, 2022 को होगी।
- (3) शुक्रवार, दिनांक 11 मार्च, 2022 से बुधवार, दिनांक 23 मार्च, 2022 तक वित्तीय वर्ष 2022-2023 के आय-व्ययक में सम्मिलित विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा होगी तत्पश्चात विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन किया जायेगा।
- (4) गुरुवार, दिनांक 24 मार्च, 2022 को वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय व्ययक की अनुदान की मांगों से संबंधित विनियोग विधेयक पर विचार एवं पारण होगा।
- (5) वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक से संबंधित मंत्रियों के विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा हेतु समय का निर्धारण किया गया, जो इस प्रकार है :-

- | | |
|---|-------------------|
| (1) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री | - 2 घंटे, 30 मिनट |
| (2) श्री टी.एस.सिंहदेव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री | - 2 घंटे, |
| (3) श्री ताम्रध्वज साहू, गृह मंत्री | - 2 घंटे, |
| (4) श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री, | - 2 घंटे, |
| (5) डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, स्कूल शिक्षा मंत्री | - 2 घंटे, |

- | | | |
|------|--|-----------|
| (6) | श्री मोहम्मद अकबर, वन मंत्री, | — 2 घंटे, |
| (7) | श्री कवासी लखमा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, | — 2 घंटे, |
| (8) | डॉ. शिवकुमार डहरिया, नगरीय प्रशासन मंत्री, | — 1 घंटे |
| (9) | श्रीमती अनिला भेंडिया, महिला एवं बाल विकास मंत्री, | — 1 घंटे, |
| (10) | श्री जयसिंह अग्रवाल, राजस्व मंत्री | — 1 घंटे, |
| (11) | श्री गुरु रूद्र कुमार, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री, | — 1 घंटे, |
| (12) | श्री उमेश पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री | — 1 घंटे, |
| (13) | श्री अमरजीत भगत, खाद्य मंत्री, | — 1 घंटे, |

2. विधि विषयक कार्य :-

छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण (संशोधन) विधेयक, 2022 पर चर्चा हेतु 45 मिनट का समय निर्धारित किया गया।

चन्द्र शेखर गंगराड़े
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा.